

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 28.03.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल— 18 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा—151 / 107 / 116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—

01. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. केवला पत्नी चिन्ताराम नि० ग्राम हड़हवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—62 / 21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. बिट्टा देवी पत्नी जज्ञाराम नि० पल्टीपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 14 ली० अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब, 300 ग्राम नौशादर, 400 ग्राम यूरिया व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०—114 / 21, धारा 60 / 60(2) आबकारी अधि०, 272 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रखाना कर दिया गया।

03. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. जसवन्त पुत्र स्व० बासुदेव नि० कटरा सेमरा सेखपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—98 / 21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. कसे पुत्र बलराज नि० पण्डित पुरवा रायपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—105 / 21, 02. महेश सोनकर पुत्र मेवालाल नि० पारी परसोहिया थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—106 / 21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. बब्लू पुत्र चैतू नि० परसापुर नई बस्ती थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—101 / 21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. मूसे पुत्र मेवा नि० खेरी थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—235 / 21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 28.03.2021

607 ग्राम अवैध चरस बरामद, 01 अभियुक्त गिरफतार—

गिरफतार अभियुक्त—

01. राजा बाबू सिंह उर्फ शैलेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र टिकोरी सिंह नि० ग्राम खजूरी थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—११५/२१, धारा ८/२० एन०डी०पी०एस० एकट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 607 ग्राम नाजायज चरस।

संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 28.03.2021 को थाना छपिया के व०उ०नि० सुरेश मणि मिश्रा मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को गोरया मोड़ से गिरफतार कर उसके कब्जे से 607 ग्राम अवैध चरस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना छपिया में एन०डी०पी०एस० एकट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफतार कर्ता टीम—

01. व०उ०नि० सुरेश मणि मिश्रा।
02. उ०नि० राजकुमार सिंह।
03. है०का० हरेन्द्र गोड़।
04. है०का० मुनीब यादव।
05. का० अजय निषाद।